न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 30/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00176

उनवान

टीकम पुत्र मक्खन सिंह जाति लोधा निवासी पॉण्डुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कलुआ } पिसरान अरव सिंह जाति लोधा निवासी पाण्डुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. उत्तम }
3. महारानी वेवा
4. कल्यान पुत्र } पिसरान चौब सिंह जाति लोधा नि0 पाण्डुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. केदार सिंह पुत्र
6. मुकेश पुत्र
7. कप्तान उम्र 15 साल } पिसरान स्व0 मोहन सिंह पुत्र स्व0 चौब सिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक
8. नागर उम्र 09 साल } श्रीमती कमला वेवा मोहन सिंह जाति लोधा निवासी पाण्डुरी तहसील
9. जुगली उम्र 12 साल } रूपवास जिला भरतपुर।
10. श्रीमती कमला वेवा स्व0 मोहन सिंह पुत्र स्व0 चोव सिंह जाति लोधा निवासी पाण्डुरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 17.06.2017 उनवानी टीकम बनाम कलुआ मु0न0 44/16

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 08.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 17.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम पाण्डुरी तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी/अपीलाण्ट के पिता झम्मन सिंह पुत्र लालाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। प्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजी में अपने हिस्से के मुताबिक खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजी का अभी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये अप्रार्थीगण/रैस्पो0, प्रार्थी/अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की भूमि जो प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मेहनत मजदूरी करके उपजाऊ एवं कीमती बनाई है, पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, राजस्व कैम्प कोर्ट में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित हैं उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व कैम्प कोर्ट में दोनों पक्षो की अनुपस्थिति में पारित किया है। जबकि राजस्व कैम्प कोर्ट में प्रकरण पक्षकारो की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही तय किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश NON SPEAKING आदेश हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थना पत्र खारिज करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी में रैस्पो0 के साथ रिकार्डेड खातेदार है तथा रैस्पो0 उसके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं तथा उसके विकसित भू खण्डो पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति का बिन्दु अपीलाण्ट के हक में बखूबी साबित होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये रैस्पो0 को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया गया। पक्षकारो के बीच अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना के आधार पर दावे में होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 44 में वर्णित विवादित आराजी में रैस्पो0 के पूर्वज झम्मन, चोब सिंह पिसरान लालाराम वहिस्सा बराबर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से, वर्तमान स्थिति में हम विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा उचित नहीं पाते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट का विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया स्वत्व नहीं बनता है। अतः सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी अपीलाण्ट/प्रार्थी के पक्ष में ना होकर, रैस्पो0/अप्रार्थी के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 17.06.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official